न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी [illegible] कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 88/2023

हरलाल सिंह बनाम रामकरण वगैरह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

निर्णय

निर्णय दिनांक 05.06.2025

प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पेश कर कथन किया गया कि यह कि वादी ने अपने आपको स्व कुशलाराम का वारिस काबिज कर उत्तराधिकार के आधार पर जमीन जैर बहस को क्लेम किया है। वादी की यह प्लीडिंग है कि कुशलाराम के एक पुत्री चन्द्री उर्फ सिणगारी पैदा हुई और यह प्लीडिंग है कि वादी चन्द्री का पुत्र है। वादी की उक्त प्लीडिंग की ताईद राजस्व रिकार्ड से नही होती है।नामान्तकरण संख्या 42 दिनांक 23/06/1956 ग्राम हेतमसर जमीन जैर बहस का है। उक्त नामान्तकरण में दर्ज प्रविष्टयों से यह साबित है कि कुशलाराम ला औलाद फौत हुआ। उक्त नामान्तकरण लोक दस्तावेज है तथा दावा दायरी से 30 वर्ष से भी अधिक पुराना है। उक्त नामान्तकरण में दर्ज प्रविष्टियों को वादी ने दावा में चुनौती नहीं दी है। इस प्रकार दावा मे वारिसका विवाद है। राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 की तृतीय अनुसुचि में वारिस की घोषणा करने का क्षेत्राधिकार राजस्व अदालत को नहीं है। इस प्रकार वादी के दावा के लिए वादी को वाद कारण नही है तथा वादी जब तक सक्षम दिवानी अदालत से अपने आपको दावा की प्लीडिंग के मुताबिक कुशलाराम का वारिस होने की घोषणा नहीं करवा लेता है तब तक इस दावा को सुनने का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को नहीं है।कुशलाराम का देहान्त दिनांक 23/06/1956 से पहले हुआ। वादी की तथाकथित माता ने अपने जीवन काल में जमीन जेर बहस को क्लेम नहीं किया। वादी की तथाकथित माता का देहान्त दावा दायरी से 12 वर्ष पूर्व हो चुका है।जमीन जेर बहस तेजाराम व दुलाराम की दूसरी एवं तीसरी पीढी की खातेदारी में दर्ज है। वादी ने दावा कुशलाराम की मृत्यु के करीब 66-67 वर्ष बाद पेश किया है। वादी का एवं वादी की तथाकथित माता का जमीन पर कमी कब्जा काश्त नहीं रहा। अन्दर मियाद 12 वर्ष वादी ने भी जमीन जैर बहस को क्लेम नहीं किया। इस प्रकार वादी का दावा मियाद बाहर होने काबिले खारीज है।प्रतिवादीगण की तरफ से दरख्वास्त पेश कर निवेदन है कि दरख्वास्त स्वीकार फरमाई जाकर वाद वादीगण विधि द्वारा वर्जित होने एवं वादकारण का अभाव होने के कारण खारीज फरमाया जावे।

वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पेश कर कथन किया गया कि ' यह कि प्रार्थना पत्र की धारा में दर्ज तथ्य गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है। वादी द्वारा स्व. कुशलाराम का वारिस होने का तथ्य निर्विवाद है। केवल मात्र कुछ प्रतिवादीगण के कह देने से इसे नकारा नहीं जा सकता। वादपत्र के साथ सलंग्न दस्तावेज व पारिवारिक बही जो पारिवारिक भाट द्वारा प्रमाणित की गई है कतई संशय योग्य नहीं है और जहां अधिकारों से सम्बन्धित प्रश्न अन्तर्वलित हो वहां मियाद का बिन्दू लागू नहीं होता। वादीगण को कुशलाराम का वारिस होंने की घोषणा करवाने की आवश्यकता नहीं है। यहां यह भी बताना आवश्यक है कि प्रतिवादी सं 17 ने वादी द्वारा प्रस्तुत स्व. श्री कुशलाराम जी के पारिवारिक सजरे को स्वीकार किया है तथा स्व. श्री कुशलाराम की एक मात्र संतान पुत्री स्व चन्द्री उर्फ सिणगारी होना तथा स्वयं की बुआ लगने का तथ्य स्वीकार किया है तथा मृतक वादी हरलाल सिंह उक्त स्व. चन्द्री उर्फ सिंणगारी का एकमात्र पुत्र संतान होने का तथ्य भी स्वीकार किया है। इसलिए जिन तथ्यों को स्वीकार कर लिया जाये उन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता भी नहीं है।यह कि प्रार्थना पत्र की धारा 2 में दर्ज तथ्य अस्वीकार है। श्रीमती चन्द्री देवी उर्फ सिगणारी देवी के जीवित रहने के दौरान कभी-कभी उक्त वादग्रस्त अराजियात में अपने हिस्से को स्वयं काश्त करने आती थी। कभी दुसरों से बटाई पर काश्त करवाते थे। केवल मात्र राजस्व रिकार्ड गलती से चढवा लेने मात्र से प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते और जहां अधिकारों से सम्बन्धित प्रश्न अन्तर्वलित हो वहां मियाद का

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

बिन्दु लागू नहीं होता। यह निर्विवाद तथ्य भी स्वीकार है कि उक्त वादग्रस्त भूमी वादी की पैतृक सम्पत्ति है। इसलिए प्रतिवादीगण को उक्त भूमी में वादी के हिस्से की 30 बीघा 1 बिस्वा पुख्ता में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार पैदा नहीं होते है। यह कि प्रार्थना पत्र की धारा 3 में दर्ज तथ्य कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र की धारा 4 में दर्ज तथ्य कानूनी है। यह कि अन्य तथ्यात्मक पर तथा बहस निवेदन किये जावेंगे।अतिरिक्त उत्तर यह कि यह कि प्रार्थी/प्रतिवादी सं 1 ने माननीय न्यायालय को मुगालते में रखने एवं माननीय न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो खारिज होने योग्य है। यह कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने वर्तमान प्रकरण का निस्तारण करने के कुटिल उद्देश्य के साथ उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। ताकि उक्त मुकदमा के वाद के लम्बित रहने के दौरान प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को आगे विक्रय करने के अपने मन्सूबों में सफल हो जावे। वर्तमान दावे में यह विचारण नहीं होना है कि स्वर्गीय कुशालाराम के वारिस कौन थे बल्कि यह तय होना है कि स्वर्गीय कुशालाराम की भूमि किसे जानी चाहिए थी। प्रतिवादिगण स्वयं यह साबित करें कि स्वर्गीय कुशालाराम की भूमि उनके कैसे आई और क्यों आई ? लेकिन यह प्रश्न तभी साबित हो पाएगा जब दावे का पूर्ण निस्तारण हो। दावे में वादीगण व प्रतिवादिगण द्वारा अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की जाए और साक्ष्य से अपने दावे को अथवा जवाब दावे को साबित किया जाए। केवल मात्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देने मात्र से ही वादीगण का दावा खारिज नहीं हो सकता बल्कि प्रतिवादिगण को तथ्यों से, साक्ष्य से अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से चढ़े अपने नाम को सही साबित करना होगा और यह दावे का पूर्ण किए जाने के दौरान ही संभव है। यह तय करना माननीय न्यायालय का विवेकाधिकार कि वादग्रस्त भूमी किसकी सम्पति है। और माननीय न्यायालय उक्त विवेकाधिकार का प्रयोग तभी कर पायेगा जब दावे का समग्र रूप से विवेचन किया जाये। इसलिए प्रतिवादी / प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 खारिज होने योग्य है। यह कि सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 7 नियम 11 वादपत्र को नामंजूर करने की दशाओं के बारे में निम्न प्रकार वर्णन करता है कि –आदेश 7 नियम 11वाद पत्र का नामंजूर किया जाना वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर करदिया जायेगा

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को 3 ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतंर जो न्यायालय ने नियत किया है। ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है. ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहा वह दो प्रतियों में फाईल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

इस प्रकार वर्तमान वाद पत्र में उक्त आदेश व नियम के अनुसार वादपत्र नामंजूर नहीं किया जा सकता क्योंकि वादीगण द्वारा स्पष्ट रूप से वाद हेतुक प्रकट किया गया है, दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन उचित किया जाकर उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत किया गया है। वादपत्र किसी विधी द्वारा वर्जित नहीं है, वादपत्र दो समान प्रतियों में फाईल किया गया है और वादी द्वारा नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल भी नहीं हुआ है। इसलिए वादी का वादपत्र किसी भी सूरत में खारिज किये जाने योग्य नहीं है। वादी द्वारा सम्यक तत्परता बरतते हुए उचित एवं विधीपूर्ण तरीके से वादपत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः जवाव प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी प्रतिवादीगण 2 लगायत 6, 9 लगायत 14 की ओर से ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिसम्मत आधारों पर आधारित नहीं होने के कारण हेवीकॉस्ट के साथ खारिज फरमाया जाये।

जवाव देही पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी ने अपने

आपको स्व कुशलाराम का वारिस कथित कर उत्तराधिकार के आधार पर जमीन जैर बहस को क्लेम किया है। वादी की यह प्लीडिंग है कि कुशलाराम के एक पुत्री चन्द्री उर्फ सिणगारी पैदा हुई और यह प्लीडिंग है कि वादी चन्द्री का पुत्र है। वादी की उक्त प्लीडिंग की ताईद राजस्व रिकार्ड से नहीं होती है।नामान्तकरण संख्या 42 दिनांक 23/06/1956 ग्राम हेतमसर जमीन जैर बहस का है। उक्त नामान्तकरण में दर्ज प्रविष्टयों से यह साबित है कि कुशलाराम ला औलाद फौत हुआ। उक्त नामान्तकरण लोक दस्तावेज है तथा दावा दायरी से 30 वर्ष से भी अधिक पुराना है। उक्त नामान्तकरण में दर्ज प्रविष्टियों को वादी ने दावा में चुनौती नहीं दी है। इस प्रकार दावा में वारिस का विवाद है। राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 की तृतीय अनुसुचि में वारिस की घोषणा करने का क्षेत्राधिकार राजस्व अदालत को नहीं है। इस प्रकार वादी के दावा के लिए वादी को वाद कारण नही है तथा वादी जब तक सक्षम दिवानी अदालत से अपने आपको दावा की प्लीडिंग के मुताबिक कुशलाराम का वारिस होने की घोषणा नहीं करवा लेता है तब तक इस दावा को सुनने का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को नहीं है।कुशलाराम का देहान्त दिनांक 23/06/1956 से पहले हुआ। वादी की तथाकथित माता ने अपने जीवन काल में जमीन जैर बहस को क्लेम नहीं किया। वादी द्वारा अपनी माता कुशलाराम के एक पुत्री चन्द्री उर्फ सिणगारी के विधिक वारिसान होने बावत ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश नही किया जिससे साबित हो से कि वादी उक्त दावा पेश करने का अधिकारी है। वादी की तथाकथित माता का देहान्त दावा दायरी से 12 वर्ष पूर्व हो चुका है।जमीन जैर बहस तेजाराम व दुलाराम की दूसरी एवं तीसरी पीढी की खातेदारी में दर्ज है। वादी ने दावा कुशलाराम की मृत्यु के करीब 66–67 वर्ष बाद पेश किया है। वादी का एवं वादी की तथाकथित माता का जमीन पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। अन्दर मियाद 12 वर्ष वादी ने भी जमीन जैर बहस को क्लेम नहीं किया। इस प्रकार वादी का दावा मियाद बाहर होने काबिले खारीज है।वादीगण का वाद पत्र उपरोक्त मदों में वर्णित अनुसार विधि द्वारा वर्जित होने से प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि यह कि प्रार्थना पत्र की धारा में दर्ज तथ्य गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है। वादी द्वारा स्व. कुशलाराम का वारिस होने का तथ्य निर्विवाद है। केवल मात्र कुछ प्रतिवादीगण के कह देने से इसे नकारा नहीं जा सकता। वादपत्र के साथ सलंग्न दस्तावेज व पारिवारिक वही जो पारिवारिक भाट द्वारा प्रमाणित की गई है कतई संशय योग्य नहीं है और जहां अधिकारों से सम्बन्धित प्रश्न अन्तर्वलित हो वहां मियाद का बिन्दू लागू नहीं होता। वादीगण को कुशलाराम का वारिस होने की घोषणा करवाने की आवश्यकता नहीं है। यहां यह भी बताना आवश्यक है कि प्रतिवादी सं 17 ने वादी द्वारा प्रस्तुत स्व. श्री कुशलाराम जी के पारिवारिक सजरे को स्वीकार किया है तथा स्व. श्री कुशलाराम की एक मात्र संतान पुत्री स्व चन्द्री उर्फ सिणगारी होना तथा स्वयं की बुआ लगने का तथ्य स्वीकार किया है तथा मृतक वादी हरलाल सिंह उक्त स्व. चन्द्री उर्फ सिंणगारी का एकमात्र पुत्र संतान होने का तथ्य भी स्वीकार किया है। इसलिए जिन तथ्यों को स्वीकार कर लिया जाये उन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता भी नहीं है।यह कि प्रार्थना पत्र की धारा 2 में दर्ज तथ्य अस्वीकार है। श्रीमती चन्द्री देवी उर्फ सिगणारी देवी के जीवित रहने के दौरान कभी–कभी उक्त वादग्रस्त अराजियात में अपने हिस्से को स्वयं काश्त करने आती थी। कभी दुसरों से बटाई पर काश्त करवाते थे। केवल मात्र राजस्व रिकार्ड गलती से चढवा लेने मात्र से प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते और जहां अधिकारों से सम्बन्धित प्रश्न अन्तर्वलित हो वहां मियाद का बिन्दू लागू नहीं होता। यह निर्विवाद तथ्य भी स्वीकार है कि उक्त वादग्रस्त भूमी वादी की पैतृक सम्पतिहै। इसलिए प्रतिवादीगण को उका भूगी में वादी के हिस्से की 30 बीघा 3 विरुवा पुस्ता में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार पैदा नहीं होते है।. यह कि प्रार्थना पत्र की धारा 3 में दर्ज तथ्य कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र की धारा 4 में दर्ज तथ्य कानूनी है। यह कि अन्य वजूहात वर वक्त बहस निवेदन किये जावेगे।अतिरिक्त उत्तर. यह कि यह कि प्राधर्थी/प्रतिवादी सं 3 ने माननीय न्यायालय को मुगालते में रखने एवं माननीय न्यायालय का कीमती समय वर्वाद करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो खारिज होने योग्य है। यह प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने वर्तमान प्रकरण को लिंगरऑन करने के कुटिल उद्देश्य के साथ उक्त प्रार्थना

खण्ड अधिकारी
मण्डावा

प्रस्तुत किया है। ताकि उक्त भूखण्ड को वाद के लम्बित रहने के दौरान प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को आगे विक्रय करने के अपने मन्सूबों में सफल हो जाये। वर्तमान दावे में यह विचारण नहीं होना है कि स्वर्गीय कुशालाराम के वारिस कौन थे बल्कि यह तय होना है कि स्वर्गीय कुशालाराम की भूमि किसे जानी चाहिए थी। प्रतिवादिगण स्वयं यह साबित करें कि स्वर्गीय कुशालाराम की भूमि उनके कैसे आई और क्यों आई ? लेकिन यह प्रश्न तभी साबित हो पाएगा जब दावे का पूर्ण निस्तारण हो। दावे में वादीगण व प्रतिवादिगण द्वारा अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की जाए और साक्ष्य से अपने दावे को अथवा जवाब दावे को साबित किया जाए। केवल मात्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देने मात्र से ही वादीगण का दावा खारिज नहीं हो सकता बल्कि प्रतिवादिगण को तथ्यों से, साक्ष्य से अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से चढ़े अपने नाम को सही साबित करना होगा और यह दावे का पूर्ण किए जाने के दौरान ही संभव है। यह तय करना माननीय न्यायालय का विवेकाधिकार कि वादग्रस्त भूमी किसकी सम्पति है। और माननीय न्यायालय उक्त विवेकाधिकार का प्रयोग तभी कर पायेगा जब दावे का समग्र रूप से विवेचन किया जाये। प्रतिवादी ने प्रकरण में देरी करने के उदेश्य से गलत तथ्य दर्ज कर गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है।दावा किसी भी विधि द्वारा वर्जित नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पोषणीय नहीं होने से खारीज फरमाया जावे।

विधि के बिन्दु पर आदेश 7 नियम 11 निम्नानुसार है जिसके अनुसार वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जायेगा :–

1. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है,
2. जहां दावाकृति अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
4. जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,
5. जहां वह डुप्लीकेट फाईल नही किया गया है,
6. जहां वादी 9 नियम 2 की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में प्रार्थी (प्रतिवादी) की मुख्य आपति यह है कि वादी द्वारा अपनी माता कुशलाराम के एक पुत्री चन्द्री उर्फ सिणगारी के विधिक वारिसान होने बाबत ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश नही किया जिससे साबित हो से कि वादी उक्त दावा पेश करने का अधिकारी है। तथा वादी की माता द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी उक्त वादग्रस्त आराजी बाबत क्लेम नही किया है। इस प्रकार वादी का दावा मियाद बाहर है साथ ही दावे में चाहे गये मुख्य अनुतोप घोपणा का वैध स्त्रोत दर्ज नहीं किया। वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज होने योग्य है।

समस्त तथ्यों साक्ष्य सबूतों दौराने बहस पेश की गई दलीलों के मध्यनजर प्रतिवादी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारीज किया जाता है। उक्तनुसार अन्तिम पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः–मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरुस्ती एव स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम वाद डिकी

मुकदमा नम्बर :– राजस्व वाद संख्या 69 / 2023 उनवान हरलाल बनाम रामकरण वगैरह

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 05.06.2025 के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश07 नियत 11 सीपीसी स्वीकार होने पर वाद वादी खारीज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा